उत्तर प्रदेश शासन
वन अनुभाग-1
संख्याः-90/2015/2354/14-1-2015-23/2015
लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर, 2015

<u>शुद्धिपत्र</u>

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में सिविल अपील संख्या-2608 /2011, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन में वन अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या-2202/14-1-2015-23/2015, दिनांक 07.09.2015 द्वारा पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर प्रोन्नत श्री अवध बिहारी, सहायक वन संरक्षक को तात्कालिक प्रभाव से क्षेत्रीय वनाधिकारी के पद पर पदावनत किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 07-09-2015 के प्रस्तर-4 में निम्न तथ्य उल्लिखित हैः-

"कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2015, दिनांक 21.08.2015 के प्रावधानों के अनुसार राज्य वन सेवा के सहायक वन संरक्षक संवर्ग का पदावनति का प्रस्ताव प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-ई0शा0-189/10-46-5, दिनांक 26.08.2015 द्वारा उपलब्ध कराया गया। प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार श्री अवध बिहारी, क्षेत्रीय वनाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से दिनांक 30.12.1997 को नियुक्त हुए थे तथा श्री अवध बिहारी (क्षे0व0अ0 की ज्येष्ठता सूची दिनांक 30.05.1996 का क्रमांक-463) अनुसूचित जाति के कोटे का लाभ प्राप्त करके दिनांक 17.11.2008 को क्षेत्रीय वनाधिकारी के पद से सहायक वन संरक्षक के पद पर प्रोन्नत हुए थे। सम्प्रति इनसे वरिष्ठ क्षेत्रीय वनाधिकारी अभी सहायक वन संरक्षक के पद पर प्रोन्नत नहीं हुए है।**"**

2. उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 07.09.2015 के प्रस्तर-4 का उपर्युक्त उल्लिखित तथ्य निम्नवत् संशोधित समझा जायः-

"कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2015, दिनांक 21.08.2015 के प्रावधानों के अनुसार राज्य वन सेवा के सहायक वन संरक्षक संवर्ग का पदावनति का प्रस्ताव प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-ई0शा0-189/10-46-5, दिनांक 26.08.2015 द्वारा उपलब्ध कराया गया। प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार श्री अवध बिहारी, क्षेत्रीय वनाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से दिनांक 30.12.1987 को नियुक्त हुए थे तथा श्री अवध बिहारी (क्षे0व0अ0 की ज्येष्ठता सूची दिनांक 30.05.1996 का क्रमांक-463) अनुसूचित जनजाति के कोटे का लाभ प्राप्त करके दिनांक 17.11.2008 को क्षेत्रीय वनाधिकारी के पद से सहायक वन संरक्षक के पद पर प्रोन्नत हुए थे। सम्प्रति इनसे वरिष्ठ क्षेत्रीय वनाधिकारी अभी सहायक वन संरक्षक के पद पर प्रोन्नत नहीं हुए है।"

3. वन अनुभाग-1 का उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 07.09.2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। कार्यालय आदेश दिनांक 07.09.2015 के शेष अन्य तथ्य/शर्तें यथावत रहेगी।

ओम प्रकाश
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्याः-2354(1)/14-1-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक,उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, उ0प्र0 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
7- निदेशक सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8- संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
9- संबंधित कोषाधिकारी द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
10- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आर0 वी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in